

**Programme of Cooperation between the Ministry of Culture of the
Republic of India and Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan in
the field of Culture and Art for the years 2016 - 2018**

The Government of the Republic of India and Government of the Republic of Tajikistan, hereinafter referred to as the "Parties" to promote cooperation in the field of culture and art between the two countries, bearing in mind the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Tajikistan on cooperation in the spheres of culture, arts, education, science, the mass media (including film) and Sports, signed February 15, 1993 in New Delhi, both Parties have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall encourage exchange of publications, literature and research material in the field of culture and art.

Article 2

The Parties shall exchange experts in the fields of museum, and shall hold exhibition in archeology and architecture.

Length of stay of experts and other organizational issues will be resolved through mutual consultations.

Article 3

The Parties shall cooperate in the protection, preservation and promotion of cultural heritage in both countries. The Parties shall provide one expert of each party in the protection and preservation of ancient monuments and archaeological sites, objects of art and development of museums in the archaeological site, during the two-week period.

Article 4

The Parties shall share music live bands, and the terms of exchange shall be agreed on the principle of mutuality.

Tajik National Conservatory and the Sangeet Natak Akademi of India shall exchange teachers and specialists to train Tajik and Indian traditional music.

Article 5

The Parties shall exchange publications and library professionals to facilitate the exchange of study in the library service.

Article 6

The Parties shall send the exhibition of musical instruments to each other's country, with three or four musicians for the period of 2-3 weeks.

Article 7

The Parties shall organize a group show of national artists and performers in each other's country for a period of 15 days, carried out in the Art Gallery of the host country.

Article 8

The Parties shall conduct "Days of Culture" in each other's country, which shall include the exchange of tours of performing arts groups of multiple participants from each side. The details of these tours and other activities included in carrying out "Days of Culture" shall be developed on the basis of reciprocity.

Article 9

The Parties shall visit science museums / centers to study the conditions and opportunities available to support each other.

Article 10

The Parties shall determine the field of long-term cooperation for the development of science museums / centers.

Article 11

The Parties shall determine the short-term needs for the exchange of scientific exhibitions, training of museum professionals and the organization of scientific symposium on the basis of reciprocity.

Article 12

The Parties shall facilitate the exchange of innovative experiences related to the creative industries by sharing a cultural administrator of each party for period of 2-3 weeks in the field of cultural management to examine the following:

- Study of the artistic heritage;

- Creative activities for students;
- Development of audio-visual and printed educational material for students learning
- art, music, dance, theater and puppet art;
- Museums as centers of learning;
- Documentation of art and the protection of cultural resources.

Article 13

The Parties shall exchange experts of theatrical institutions of both countries on a reciprocal basis for seminars and for monitoring studies. The Parties shall exchange the theater production at the theater festival of each side.

The Parties shall exchange theater students, experts and performances for children on the basis of reciprocity.

Article 14

On the basis of mutual consultations, the Parties shall make additional proposals and shall present the related protocols, which are an integral part of this program to be signed.

Article 15

Financial and general conditions listed in the Annex are an integral part of this cooperation program.

Article 16

This Program of Cooperation shall enter into force on the day of signing, and shall remain valid until December 31, 2018.

Signed in Dushanbe on "13" July, 2015 in two original copies of the Hindi, Tajik and English languages, each of them has an equal effect. In case of disagreement in the interpretation, text in English shall prevail.

**For the Ministry of Culture of the
Republic of India**

**For the Ministry of Culture of the
Republic of Tajikistan**

GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

A. Exchange of individuals, delegations, exhibitions:

Every party shall send to the other party the bio-data (including languages spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation or individuals selected under this Agreement, and bio-data of performing groups at an exhibition four months in advance. The receiving party shall inform the other side about agreeing to receive or postponing the date at least one month in advance.

B. Exchange of exhibitions:

Separate agreement shall be reached between the promoting party and the receiving party with regard to exhibition. The sending side shall inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination 15 days before the opening of the exhibition.

C. Exchange of materials:

Each contracting party shall have the right to use the materials exchanged in the fields of information, Mass Media in its own programmes and such materials should not be given by the receiving side to a third party.

D. Finances:

While visiting representatives of groups, delegations, performing groups to each other countries, sending Side shall provide international travel expenses, the receiving Side shall provide board, food and internal travel expenses, as well as emergency expenses.

E. One-month duration visits:

The sending Side shall provide international travel expenses in respect of their performing groups and delegation in case of visits for a period not exceeding one month. The receiving side shall provide hospitality, which includes free board and lodging, internal travel expenses and free medical care in case of sudden illness. This is applicable in respect of both the sides.

वर्ष 2016-18 के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में संस्कृति मंत्रालय, भारत
गणराज्य की सरकार और संस्कृति मंत्रालय, तज़ाकिस्तान गणराज्य की सरकार के
बीच सहयोग कार्यक्रम

संस्कृति मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और संस्कृति मंत्रालय, तज़ाकिस्तान
गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद "दोनों पक्ष" कहा गया है) के 15 फरवरी, 1993
को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जनसंचार माध्यम
(चलचित्रण सहित) तथा खेलकूद के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार
और तज़ाकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच सम्पन्न हुए करार को ध्यान में रखते हुए
दोनों देशों के बीच कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद - 1

दोनों पक्ष, संस्कृति और कला संबंधी प्रकाशनों, साहित्य और अनुसंधान सामग्री का
आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 2

दोनों पक्ष, संग्रहालय, पुरातत्व और वास्तुकला में प्रदर्शनी क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-
प्रदान करेंगे। विशेषज्ञों के रुकने की अवधि और अन्य संगठनात्मक पहलुओं पर निर्णय
परस्पर परामर्श से तय किया जाएगा।

अनुच्छेद - 3

दोनों पक्ष, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में
सहयोग का समर्थन करेंगे। दोनों पक्ष, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों, कला
वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण तथा पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के विकास संबंधी
प्रत्येक क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि के लिए एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 4

दोनों पक्ष, मंच कला समूहों का आदान-प्रदान करेंगे तथा आदान-प्रदान की शर्तें पारस्परिक आधार पर तय की जाएंगी। ताजिक नेशनल कंजरवेटरी और संगीत नाटक अकादमी, भारतीय और ताजिक पारंपरिक संगीत के शिक्षण के लिए शिक्षकों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद - 5

दोनों पक्ष, प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे तथा पुस्तकालय सेवा में विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुस्तकालय व्यावसायिकों का आदान-प्रदान भी सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद - 6

दोनों पक्ष, 2-3 सप्ताह की अवधि के लिए तीन अथवा चार संगीतज्ञों सहित एक-दूसरे के देश में वाद्य यंत्रों की एक प्रदर्शनी भेजेंगे।

अनुच्छेद - 7

दोनों पक्ष, मेजबान देश की कला दीर्घा परिसर में आयोजित होने वाली 15 दिन की अवधि के लिए एक-दूसरे के देश में राष्ट्रीय चित्रकारों और कलाकारों की समूह-प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।

अनुच्छेद - 8

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में "संस्कृति दिवस" आयोजित करेंगे, जिसमें प्रत्येक के बहु-सदस्यीय मंच कला समूहों के आदान-प्रदान दौरे शामिल होंगे। "संस्कृति दिवस" में शामिल किए जाने वाले इन दौरों और अन्य समारोहों के ब्यौरे पारस्परिक आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 9

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रों का दौरा वहां उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने तथा एक-दूसरे को सहायता प्रदान करने की संभावनाएं तलाशने के लिए कर सकते हैं।

अनुच्छेद - 10

दोनों पक्ष, विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रों के विकास में दीर्घकालीन सहयोग संबंधी क्षेत्रों की पहचान करेंगे।

अनुच्छेद - 11

दोनों पक्ष, विज्ञान प्रदर्शनी के आदान-प्रदान और विज्ञान संग्रहालय व्यावसायिकों के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन आवश्यकताओं की पहचान करेंगे तथा पारस्परिक आधार पर कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करेंगे।

अनुच्छेद - 12

दोनों पक्ष, निम्नलिखित के अध्ययन के लिए सांस्कृतिक प्रबंधन के क्षेत्र में 2-3 सप्ताह की अवधि के लिए प्रत्येक पक्ष की ओर से एक सांस्कृतिक प्रशासक के आदान-प्रदान के जरिए रचनात्मक उद्योगों से संबंधित अभिनव अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

कलात्मक विरासत का अध्ययन :

विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक कार्यकलाप :

कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला सीखने के लिए विद्यार्थियों हेतु श्रव्य-दृश्य एवं मुद्रित शिक्षण सामग्रियों का विकास :

शिक्षण केंद्रों के रूप में संग्रहालय :

कलाओं का प्रलेखन और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा।

अनुच्छेद - 13

दोनों पक्ष, कार्यशालाओं का संचालन और कक्षाओं के पर्यवेक्षण दोनों हेतु पारस्परिक आधार पर दोनों देशों के सदृश रंगमंच संस्थानों के बीच विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

दोनों पक्ष एक-दूसरे के रंगमंच उत्सव में रंगमंच प्रस्तुति का आदान-प्रदान करेंगे।

दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर रंगमंच विद्यार्थियों, बाल कलाकार विशेषज्ञों और बच्चों के लिए कला प्रस्तुतियों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 14

दोनों पक्ष, परस्पर परामर्श के आधार पर अतिरिक्त प्रस्तावों पर कार्य करेंगे और हस्ताक्षर किए जाने के लिए संबंधित प्रोटोकॉल उपलब्ध कराएंगे, जो इस सहयोग कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।


अनुच्छेद - 15

अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय और सामान्य शर्तें इस सहयोग कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं।

अनुच्छेद - 16

यह सहयोग कार्यक्रम, दोनों पक्ष द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगा और 31 दिसंबर, 2018 तक वैध रहेगा।

इस कार्यक्रम पर मैं दिनांक 13 जुलाई, 2015 को हिंदी, अंग्रेजी और ताजिक भाषा में प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी भी विचलन की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।



भारत गणराज्य
के संस्कृति मंत्रालय के लिए



तज़ाकिस्तान गणराज्य
के संस्कृति मंत्रालय के लिए

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

(क) व्यक्तियों, शिष्टमंडलों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक पक्ष इस करार के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषा तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम) की सूचना भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत्त चार माह पहले भेजा जाएगा। मेजबान पक्ष, दूसरे पक्ष को कम से कम एक माह पहले उक्त तारीख की स्वीकृति अथवा तारीख आगे बढ़ाने की सूचना देगा।

(ख) प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रदर्शनियों के संबंध में प्रेषक पक्ष और मेजबान पक्ष के बीच अलग से करार किये जाएंगे। प्रेषक पक्ष प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में मेजबान पक्ष को सूचित करेगा। समरूप सूचीपत्र के विवरण संबंधी आवश्यक सूचना उद-घाटन की तारीख से तीन महीने पहले अवश्य भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्श, प्रदर्शनी शुरू होने से पन्द्रह दिन पहले उनके गंतव्य स्थल तक पहुँच जानी चाहिए।

(ग) सामग्रियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को सूचना, जन संचार के क्षेत्र में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान पक्ष द्वारा किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

(घ) वित्तीय व्यवस्था :

समूहों, प्रतिनिधिमंडलों, मंचकला समूहों के प्रतिनिधियों के एक-दूसरे के देश में दौरे के समय प्रेषक पक्ष अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा तथा मेजबान पक्ष, आवास, भोजन तथा आंतरिक यात्रा व्यय के साथ-साथ आकस्मिक व्यय वहन करेगा।

(ड.) एक माह अवधि के दौरे :

प्रेषक पक्ष, एक माह से अनधिक दौरे के मामले में अपने मंचकला समूहों और प्रतिनिधिमंडल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा।

मेजबान पक्ष, आतिथ्य प्रदान करेगा, जिसमें निःशुल्क आवास एवं भोजन, आंतरिक यात्रा व्यय और अचानक बीमारी के मामले में निःशुल्क चिकित्सा देख-भाल शामिल हैं। यह दोनों पक्षों के लिए लागू होगा।